

अध्याय—XVI
समपार (लेविल क्रासिंग)

16.01. सिगनलों की जानकारी:— किसी व्यक्ति को फाटकवाला तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक उसे सिगनलों की जानकारी न हो।

स0 नि0 16.01. (i) सक्षमता प्रमाण पत्र: प्रत्येक फाटकवाले की एस.एस.ई. रेलपथ अथवा यातायात निरीक्षक द्वारा जैसी भी स्थिति हो, परीक्षा ली जायेगी तथा निम्नलिखित प्रारूप पर सक्षमता प्रमाण-पत्र स्वतंत्र रूप से कार्यभार संभालने के पूर्व उसे जारी किया जायेगा। यह सक्षमता प्रमाण-पत्र तीन वर्ष के लिए वैध होगा।

सक्षमता प्रमाण —पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री पुत्र श्री.....पद.....फाटक वाले का कार्य के बारे में परीक्षा ली है। गेट पर दिये गये हाथ सिगनल, पटाखे तथा अन्य उपकरणों के उपयोग के बारे में वह भिन्न है असामान्य स्थिति में अपनायी जाने वाली क्रिया-विधि से भी वह भिन्न हैं।

स्थान.....

हस्ताक्षर

दिनांक.....

एस.एस.ई.रेलपथ/यातायात निरीक्षक

16.02. साज सामान देना तथा उनकी देखभाल:— प्रत्येक फाटक वाले को:—

- (क) दिन और रात्रि के हैंड सिगनल, पटाखे और अन्य निर्धारित साज सामान दिए जायेंगे, तथा
(ख) इन सिगनलों, पटाखों और अन्य साज सामान को वह सही हालत में तथा प्रयोग के लिए तैयार रखेगा।

स0 नि0 16.02.(i)(क) किसी ब्लाक स्टेशन के दोनों तरफ सबसे बाहरी रोक सिगनलों के बीच स्थित समपारों का मानव रक्षण व परिचालन स्टेशन मास्टर के नियंत्रण में है और ब्लाक स्टेशन के दोनों दिशाओं में सबसे बाहरी रोक सिगनलों के बाहर स्थित समपारों का मानव रक्षण तथा परिचालन स्थायी रेल पथ निरीक्षक के नियंत्रण में है।

(ख) स्टेशन मास्टरों व रेल पथ निरीक्षकों को सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनके नियंत्रण में समपारों पर जहां फाटक वाले तैनात हैं, निम्नलिखित वस्तुएं दी गई हैं :

हैण्ड सिगनल झण्डियां।

ट्राई कलर हैण्ड सिगनल लैम्प

दस पटाखे, और

अन्य निर्धारित उपस्कर

- (ii) जब समपार के फाटक सड़क यातायात के लिये खुले हों तो फाटकों के सार्वजनिक मार्ग की ओर बढ़ने और उन्हें उल्लंघित करने और सम्भवतः सड़क पर जाने वाली यातायात से टकरा जाने के कारण सम्भावित दुर्घटनाओं को रोकने के लिए समपार के फाटकों की जंजीरों और तालों से या ताला बन्द करने के अन्य प्राधिकृत उपकरणों से, जकड़ देना चाहिए।
- (iii) ऐसे समपार जो जंजीरों से या उन फाटकों द्वारा रक्षित हैं जो सिगनल से अंतर्पाशित नहीं हैं उन पर नियुक्त फाटकवालों के पास पर्याप्त संख्या में जंजीर और ताले या अन्य उपयुक्त ताला बन्द करने के प्राधिकृत उपकरण होने चाहिए ताकि गाड़ियों के पास होने के समय सड़क के आर-पार जंजीर या फाटक कस दिये जाये। सिगनलों से अंतर्पाशित समपारों के फाटकों को अंतर्पाशित गियर के खराब हो जाने पर इसी प्रकार, जंजीर या तालों द्वारा कसना चाहिए।
- (iv) स्टेशन मास्टर और एस.एस.ई.रेल पथ को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि समपारों पर प्रयोग के लिये जैसा कि सहायक नियम 16.02(ii) और (iii) में अधिकाधिक हैं, पर्याप्त ताले व जंजीर या ताला बन्द करने के अन्य प्राधिकृत उपकरण मौजूद हैं।
- (iv) (क) ब्लाक स्टेशन के दोनों तरफ सबसे बाहरी रोक सिगनलों के बाहर या अन्दर स्थित समपारों के फाटक वालों को देखना चाहिए कि उनको दिये गये उपस्कर अच्छी चालू हालत में रखे जाते हैं और तत्काल उपयोग के लिए तैयार है।

CHAPTER XVI LEVEL CROSSINGS

16.01 Knowledge of Signals: - No person shall be appointed to be a gateman unless he has a knowledge of signals.

SR 16.01 (i) Certificate of competency:- Every gateman shall be tested by the SSE Permanent Way or Traffic Inspector as the case may be and issued a certificate of competency in the form given below before he is put to work independently. The competency certificate shall be valid for a period of three years.

Certificate of Competency

Certified that I have examined Shri-----S/O-----
-----designation-----in the duties of Gateman. He is conversant with the use of hand signals, detonators and other equipments provided at the gate. He is also conversant with the procedure to be adopted during abnormal conditions.

Place:	Signature
Date	SSE/PW/TI

16.02. Supply and care of equipment: - Every Gateman shall:-

- (a) be supplied with day and night hand signals, detonators and other prescribed equipment, and
- (b) keep such signals, detonators and other equipment in proper order and ready for use.

SR 16.02 (i) (a) The manning and operation of the gates of level crossings inside the outermost stop signals in either direction at a block station are under the control of the Station Master and the manning and Operation of the gates of the level crossings outside the outermost stop signals in either direction of a block station are under the control of the Permanent Way Inspector.

- (b) Station Masters and Permanent Way Inspectors must ensure that all level crossings under the control where gatemen are posted are provided with:-

Hand signal flags.

Tri Colours Hand signal lamps

10 detonators, and

The other equipments prescribed.

- (ii) The gates of level crossings must be secured with padlocks and chains, or other efficient authorized locking apparatus in the "open to road traffic" position, to prevent the possibility of accidents due to the gates swinging towards and fouling the public road and possibly coming into contact with passing road traffic.
- (iii) The Gateman at level crossings protected by chains, or by gates not interlocked with signals must be provided with sufficient padlocks and chains or other efficient authorized locking apparatus for securing the chains or gates across the road for the passage of trains. Gates of level crossings, interlocked with signals must be so secured with padlocks and chains during failure of the interlocking gear.
- (iv) Station Masters and SSE Permanent Way must ensure that sufficient padlock and chains or other efficient authorized locking apparatus or padlocks for use at level crossings, as laid down in SR 16.02 (ii) and 16.02 (iii).
- (iv) (a) The Gatemen at level crossings inside and outside the outermost Stop signals in either direction of a block station must see that the equipment supplied to them is kept in good working order and is ready for immediate use.

(ख) समपारों के फाटकवालों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके फाटक सिगनलों यदि हों, की बलियाँ भली-भाँति साफ की जाती हैं। सूर्यास्त के समय जला दी जाती हैं तथा सूर्योदय के बाद बुझा दी जाती हैं और सूर्यास्त से सूर्योदय तक लगातार तेज जलती रहती हैं गेट सिगनल के सम्बन्ध में उन्हें यह भी देखना है कि पीछे की बलियाँ (बैक लाइट) स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती हैं।

16.03 सड़क यातायात:—

(1) इस विषय में इन नियमों द्वारा अनुमत विशेष अनुदेशों के अधीन रहते हुए प्रत्येक समपार (लेविल क्रॉसिंग) पर रेल लाइन के दोनों तरफ से सभी फाटक आम यातायात के लिए हर समय बन्द और मजबूती से बांध कर रखे जायेंगे और तभी खोले जाएंगे जब इन्हें सड़क यातायात के आने-जाने के लिए खोलना आवश्यक और निरापद है।

परन्तु कोई भी रेल प्रशासन किसी विशेष समपार (लेविल क्रॉसिंग) या किसी वर्ग विशेष के समपारों के लिए समय-समय पर विशेष अनुदेश जारी कर सकता है और इस प्रकार के विशेष अनुदेशों द्वारा किसी भी समपार (लेविल क्रॉसिंग) के अथवा किसी वर्ग विशेष के समपारों (लेविल क्रॉसिंग) के फाटक को सड़क यातायात के लिए सामान्यतः खुला रखने की अनुमति दे सकता है और ऐसे समपार (लेविल क्रॉसिंग) के लिए वे शर्तें निर्धारित कर सकता है जिनके अधीन किसी गाड़ी या गाड़ियों के आने – जाने या किसी अन्य रेल कार्य के लिए फाटक सड़क यातायात के लिए बन्द रखे जायेंगे और ऐसे सभी विशेष अनुदेश, जब तक कि उन्हें रद्द या अतिष्ठित (सुपरसीड) नहीं कर दिया जाता है, अधिनियम की धारा 60 के उपबंधों के अर्थ में तथा उनके अधीन, जहाँ तक कि उन्हें जारी करने वाले रेल प्रशासन का सम्बन्ध है, साधारण नियम समझे जायेंगे।

(2) यदि किसी कारण से रेल पथ के दोनों ओर समपार पर स्थित गेट को बंद नहीं किया जा सकता हो तो वहाँ पहुंचने वाली गाड़ी यदि कोई हो, को रोकने के लिए सामान्य नियम 16.06 में अधिकृत अनुबन्धों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

(3) जहाँ समपार (लेविल क्रॉसिंग) पर फाटक वालों की व्यवस्था की गई है, वहाँ जब कभी सड़क यातायात के लिए समपार (लेविल क्रॉसिंग) खोला जाता हो और कोई गाड़ी आ रही हो तो वे उसे रोक (स्टॉप) हाथ सिगनल दिखाने के लिए तैयार रहेंगे।

(4) जिस समपार (लेविल क्रॉसिंग) पर रात्रि की ड्यूटी पर किसी फाटक वाले की विशेष व्यवस्था नहीं हो तो वहाँ फाटक में विशेष अनुदेशों द्वारा निर्धारित रीति में, रात्रि के समय ताला बंद रहेगा और वे विशेष अनुदेशों के अधीन सड़क यातायात को पास करने के लिए ही खोले जायेंगे।

स0नि0 16.03.(1) सभी समपार फाटक जहाँ टेलीफोन की व्यवस्था है उनके लिये विशेष अनुदेश स्टेशन संचालन नियमों में सम्मिलित किये जायेंगे। ये अनुदेश इंजीनियरिंग शाखा द्वारा तैयार कर वरिष्ठ मण्डल परिचालन प्रबन्धक/मण्डल परिचालन प्रबन्धक और वरिष्ठ मण्डल सिगनल एवं दूरसंचार इंजीनियर/मण्डल सिगनल एवं दूर संचार इंजीनियर के पूर्व अनुमोदन से पहले खण्ड के मण्डल इंजीनियर द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे।

(2) (क) किसी गाड़ी के प्रवेश या प्रस्थान को प्राधिकृत करने के पूर्व स्टेशन मास्टर को अपने आपको आश्वस्त कर लेना चाहिए कि ब्लाक स्टेशन के दोनों दिशाओं सबसे बाहरी रोक सिगनलों के अन्दर स्थित समपारों पर गाड़ी के पास होने के लिये फाटक या जंजीर स्टेशन संचालन नियम में दी गई विधि के अनुसार सार्वजनिक मार्ग के आर-पार कस दिये गये हैं।

(ख) शंटिंग प्रारम्भ करने के पूर्व फाटकों को बन्द कर देना चाहिए और ताला लगा देना चाहिए। सड़क यातायात के लिए आवश्यकतानुसार फाटकों को खोल देनी चाहिए और ऐसा करने के लिए यदि आवश्यक हो तो शंटिंग भी बन्द कर देनी चाहिए। ऐसी दशाओं में फाटक वाले या अन्य रेल सेवकों को चाहिए कि आने वाले इंजन या वाहन की ओर खतरे का सिगनल दिखलाये।

- (b) The Gatemen at level crossings must ensure that the gate lamps of gate signals, if any, are properly cleaned, are lighted at sunset, are put out after sunrise and are kept continuously burning brightly from sunset to sunrise. In the case of lamps of gate signals, the gatemen must also see that the back light are clearly visible.

16.03 Road Traffic:-

- (1) Subject to such special instructions in that behalf as are permitted by these rules, all gates at level crossings shall be kept constantly closed and securely fastened across the thoroughfare on both sides of the railway and shall only be opened when it is necessary and safe to open them for the passage of road traffic.

Provided that any Railway Administration may from time to time issue special instructions for any particular level crossing or class of level crossing and may by such special instructions permit the gates at any level crossing or class of level crossing to be normally kept open to road traffic and may therein prescribe the conditions under which gates are to be kept closed against road traffic for the passage of a train or trains or for the purposes of any other railway operation; and all such special instructions so long as they be not cancelled for or superseded shall for the purposes only of the Railway Administration issuing the same be deemed to be General Rules within the meaning and subject to the provision of section 60 of the Act.

- (2) If for any reasons the gates at level crossings cannot be so closed/fastened across the thoroughfare on both sides of the track, action to prevent the approaching trains, if any, from running into the gate may be taken in accordance with stipulations laid down under G.R. 16.06.
- (3) Gateman, where provided, shall, at all level crossings be prepared, whenever such level crossing be open to road traffic, to show a Stop hand signal to any approaching train.
- (4) Where no gateman is specially provided for night duty at a level crossing, the gates thereat shall, subject to special instructions, be locked at night and opened only to pass road traffic in such manner as may be prescribed by special instructions.

SR 16.03 (1) Special instructions for working level crossing gates provided with telephonic communication, are required to be embodied in the Station Working Rules. These instructions shall be framed by Engineering branch signed by Sr.DEN/DEN with prior approval of Sr.DOM/DOM and Sr.DSTE/DSTE. A copy of working instructions should also be provided at the gate lodge of the concerned manned level crossing gate.

- (2) (a) The Station Master must, before authorizing the reception or dispatch of train, satisfy himself that the gates or chains of the level crossing, inside the outermost stop signal in either direction of a block station are secured a cross the public road for the passage of trains in the manner laid down in the Station Working Rules.
- (b) Gates must be closed and locked before shunting is commenced. The gate must be opened as required to allow road traffic to pass, shunting to be stopped, if necessary, to allow this being done. In such cases the gatemen or other railway servant must show a danger signal to approaching engine or vehicles.

- (ग) जिन इंजीनियरिंग समपार फाटकों से बाहरी/दूर/अग्रिम प्रस्थान सिगनल दिखाई देते हैं वहां के फाटकवालों को गाड़ी को आते देख या सिगनलों की "आफ" स्थिति को देखकर जो भी पहले हो, सड़क यातायात के विरुद्ध फाटक को बन्द कर ताला लगा देना चाहिए।
- (3) (क) समपार फाटकों का वर्गीकरण अधोलिखित तरीके से होगा :
- विशेष श्रेणी
- "ए" श्रेणी } सवारी यातायात के लिए
- "बी" श्रेणी }
- "सी" श्रेणी }
- "डी" श्रेणी पशुओं के आने जाने एवं पगडंडियों के लिये
- (ख) फिर भी कोयले की खान, मिल या अन्य ऐसी साइडिंग पर जहां रेलवे यातायात कम है समपारों का कार्यचालन स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार किया जा सकता है।
- (ग) सबसे बाहरी रोक सिगनलों के बीच स्थित समपार फाटकों पर से फाटक वाले हटाये जा सकते हैं यदि स्टेशन संचालन नियम में समाविष्ट विशेष अनपुदेशों के अधीन फाटकों का प्रचालन स्टेशन कर्मचारियों द्वारा हो सकता है।
- (घ) नहर की सड़कों पर "सी" श्रेणी के समपारों से जहां फाटक लगे हों, फाटक वाले हटाये जा सकते हों, यदि निम्नलिखित शर्तें पूरी हो –
- (i) फाटक सामान्यतः सड़क के विरुद्ध बन्द रहते हैं और उनमें ताला बन्द रहते हैं।
- (ii) सड़कें सिंचाई विभाग की निजी संपत्ति हैं और वे सार्वजनिक रास्ते नहीं हैं।
- (iii) फाटकों की चाभियां केवल कुछ ही जिम्मेदार सरकारी पदाधिकारियों को दी जाती हैं, तथा
- (iv) समपार पर यातायात बहुत ही कम है।
- (ङ) आरक्षित समपारों पर (दोनों दिशाओं में) तथा स्टेशन सीमा के बाहर मानव रक्षित फाटकों पर भी जिनसे लाइन की दृश्यता वक्रता आदि के कारण अस्पष्ट हो, पर्याप्त दूरी पर सीटीपट्ट लगाये जाने चाहिए। इस उद्देश्य के लिए पर्याप्त दूरी 600 मीटर होगी।
- (4) (i) विशेष 'ए' 'बी' और 'सी' श्रेणी के सब समपार फाटकों पर फाटक बत्तियों का प्रावधान अवश्य होना चाहिए।
- नोट: "सी" श्रेणी के समपार पर जहां फाटकों का प्राविधान किया गया है बत्ती की जगह पर परावर्तक (रिफ्लेक्टर) या चमकते हुए लाल पेंट से रंगी हुई लाल डिस्क उसके विकल्प के रूप में लगायी जा सकती है।
- (ii) फाटक की बत्तियों को निम्नलिखित रोशनी प्रदर्शित करनी चाहिए—
- (क) सड़क पर चलने वालों के लिए लाल रोशनी— जब फाटक सड़क यातायात के लिए बन्द हो और सफेद रोशनी जब सड़क यातायात के लिए खुले हों।
- (ख) आने वाली गाड़ियों के लोको पायलटों के लिए विशेष 'ए' 'बी' और 'सी' श्रेणी के समपार पर जब ये सड़क यातायात के लिए बन्द हैं— किसी तरह की रोशनी नहीं और विशेष श्रेणी के समपार पर जब फाटक रेल लाइन के आर-पार बन्द हैं— लाल रोशनी।
- (5) जब फाटक बन्द करने का आदेश दिया जाय तो सभी दशाओं में इन्हें ताला बन्द करके जकड़ देना चाहिए। फाटक वाले द्वारा फाटक बन्द किया नहीं समझा जायेगा जब तक फाटक में ताला बन्द न कर दिया गया हो।
- (6) (क) समपार पर लगे टेलीफोन के खराब होने, गेटमैन के अनुपस्थित रहने या किसी अन्य कारणवश गेटमैन से सम्पर्क स्थापित करने में असक्षम होने पर, स्टेशन मास्टर द्वारा किसी गाड़ी को समपार की ओर जाने की आज्ञा नहीं दी जानी चाहिए जब तक कि समपार के खुले रहने तथा समपार पर अवरोध होने की सम्भावना के विषय में लोको पायलट को सतर्कता आदेश फार्म टी-409 न दिया जा चुका हो। सतर्कता आदेश में समपार फाटक की संख्या तथा किलोमीटर का स्पष्ट रूप से अंकन किया जाना चाहिए।

- (c) The gateman of those engineering level crossing gates from where the visibility of the outer/home/advanced starter signal is clear, must close and lock the level crossing gates against the road traffic either on seeing the approach of a train or on seeing the signal taken "off" whichever is earlier.
- (3) (a) The classification of level crossings should be as follows
- Special Class
 "A" Class }
 "B" Class } for Vehicular Traffic
 "C" Class }
 "D" Class for cattle crossing and footpaths
- (b) Level crossing over colliery, factory and other similar siding where railway traffic is light may, however be worked according to local condition.
- (c) Gateman may be dispensed with at level crossing gate within outermost stop signal if the gates can be operated by the station staff under special instructions in corporate in the station working rules.
- (d) Gateman may be dispensed with at C Class level crossings on canal roads which are provided with gates the following conditions are fulfilled:-
- (i) The gates are normally closed to the road and locked.
 - (ii) The road are the private property of the irrigation department and are not public thorough fares.
 - (iii) The keys to the gates are only issued to a few responsible government officials, and
 - (iv) The traffic over the level crossing is very light.
- (e) Whistle Boards must be provided at an adequate distance in rear of the unmanned level crossing gates (on both sides) and also manned level crossing gates outside the station limits, where a clear view of the line from the level crossing is not available owing to curve, etc. The adequate distance for this purpose shall be six hundred metres.
- (4) (i) Gate lamp must be provided for all gates at "special" "A" "B" and "C" class level crossing.

Note- Reflector or a red disc painted with red luminous paint may be provided as an alternative to lamps at 'C' Class level crossing provided with gates.

- (ii) Gate lamps must show:-
- (a) To road users 'Red' when the gate is closed to road traffic and 'White' when open to road Traffic.
 - (b) To Loco Pilots of approaching trains no light for "special" "A" "B" and "C" class level crossing when closed against road traffic and "Red" for "Special Class level crossing when gates are closed across the Railway Track.
- (5) In all cases when a gate is ordered to be closed it must be securely locked. A gateman will not be considered to have closed a gate until such time it has been locked also.
- (6) (a) In the event of a Station Master not being in a position to get in touch with a gateman due to the telephone being out of order, the gateman being absent or for any other reasons, he should not allow any train to proceed towards such level crossing unless the Loco Pilot has been served with a Caution Order to warn the Loco Pilot about the possibility the level crossing being open to road traffic and the line being obstructed. The number and kilometrage of the level crossing should also be indicated clearly in the caution order.

- (ख) दूसरी दिशा से ब्लाक खण्ड में किसी गाड़ी के प्रवेश के लिए "लाइन क्लीयर" देने के पूर्व वह दूसरे छोर के स्टेशन के स्टेशन मास्टर को इसकी सूचना देगा और उसकी स्वीकृति प्राप्त कर लेगा तथा दूसरे छोर का स्टेशन मास्टर लोको पायलटों को सतर्कता आदेश जारी करेगा। इस उद्देश्य के लिए सीधे जाने वाली गाड़ियों को उनके निश्चित ठहराव के अतिरिक्त भी रोका जायेगा।
- (7) सभी दिशाओं में जब सड़क यातायात के लिये समपार को खोलने की आवश्यकता हो तो यदि लाइन रेल यातायात से साफ हो, फाटक वाला को पहले जिधर से सड़क यातायात आ रहा हो उसके दूसरी ओर के फाटक को खोलना चाहिए और इसके बाद उस ओर के फाटक को जिधर से सड़क यातायात आ रहा हो खोलना चाहिए जिससे यातायात को बिना किसी रूकावट के समपार पर से रास्ता मिल जाय।
- (8) (क) संरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी समपार फाटकों पर इस प्रकार कार्य किया जायेगा जिसमें सड़क यातायात को कम से कम असुविधा हो।
- (ख) महत्वपूर्ण समपारों पर सड़क यातायात के प्रायः एवं अनुचित विलम्ब कम करने के उद्देश्य से ऐसे समपारों को एक बार में सामान्यतः 10 मिनट से अधिक समय तक बन्द नहीं किया जायेगा।
- (ग) ऐसे समपारों पर जहाँ पर टेलीफोन की व्यवस्था है फाटक वाला, लाइन पर कोई मोटर ट्राली है, को सूचना पाने पर तत्काल समपार को बन्द नहीं करेगा अपितु मोटर ट्राली पर ध्यान रखेगा और केवल तब जब वह दिखाई दे समपार फाटक को बन्द करे इसी पद्धति का पालन केबिन मैन द्वारा केबिन संचालित समपार फाटकों के सम्बन्ध में किया जायेगा।
- (9) जहाँ रात में रेल यातायात नहीं है वहाँ दिन पाली वाला गेटमैन अपनी ड्यूटी के बाद गेट को सड़क यातायात के लिये खुला छोड़ कर जा सकता है। गेट छोड़ने से पूर्व गेटमैन इसकी अनुमति नियंत्रक स्टेशन मास्टर से प्राइवेट नम्बर के आदान-प्रदान द्वारा लेगा। स्टेशन मास्टर ऐसी अनुमति देने से पूर्व यह सुनिश्चित करेगा कि ब्लाक सेक्शन में कोई गाड़ी नहीं है। गेट की चाभी गेटमैन द्वारा रखी जायेगी। गेटमैन जब दिन के समय ड्यूटी पर आयेगा तब ड्यूटी पर आने की सूचना नियंत्रक स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नम्बर के आदान-प्रदान द्वारा देगा। स्टेशन मास्टर, ब्लाक सेक्शन में गाड़ी संचालन पुनः आरम्भ करने से पहले गेटों पर गेटमैन की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा।

16.04. पास होने वाली गाड़ियों को फाटक वाला ध्यान से देखे:- यदि विशेष अनुदेशों के अधीन अन्यथा निर्धारित नहीं किया गया है, तो फाटकवाला पास होने वाली सभी गाड़ियों को ध्यान से देखेगा और गाड़ियों की संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यथा आवश्यक कार्यवाई करने के लिए तैयार रहेगा।

स0 नि0 16.04 (i) फाटक वाला फाटक की गुमटी पर रेल पथ के सम्मुख दिन के समय दाहिने हाथ में फहराने योग्य लपेटी हुई लाल हाथ झंडी तथा बाएं हाथ में, हरी झण्डी लेकर स्वयं रात्रि के समय हाथ सिगनल बत्ती लेकर जो रेलपथ की ओर सफेद प्रकाश दे रहा हो, लेकर खड़ा होगा और गार्ड जैसा भी संकेत लोको पायलट को दे रहा हो उसे दोहराने के लिए तैयार रहेगा अथवा आपात स्थिति में दुर्घटना के निवारणार्थ तत्परता पूर्वक आवश्यक रोक हाथ (स्टाप हैण्ड) सिगनल देने के लिए तैयार रहेगा।

16.05. पहियों की कोर (फ्लेन्ज ऑफ व्हील्स) के लिए चैनल:- फाटक वाला पहियों की कोर के लिए नाली (चैनल) साफ रखेगा।

स0 नि0 16.05(i) फाटक वालों को चाहिए कि वर्ष के शुष्क महीनों में धूल बैठाने के लिए प्रतिदिन प्रातः व सायंकाल समपार पर पूरी तरह पानी का छिड़काव करे जिससे कि गाड़ी के सवारियों को धूल से असुविधा न हो।

(ii) उन समपारों पर जहाँ फाटक वाला नहीं है, मेंट अथवा उसका चाभी वाला प्रत्येक समपार का यह देखने के लिए रोज निरीक्षण करेगा कि पहियों के कोरों के लिए चैनल साफ है।

16.06. समपार (लेविल क्रॉसिंग) पर खराबियाँ:- यदि कोई फाटक या उसके बन्धन (फास्टनिंग) या फाटक से सम्बन्धित कोई स्थावर सिगनल खराब हो जाता है तो फाटक वाला:-

(क) यदि संभव हो तो सड़क यातायात के लिए गेट बन्द करने के लिए कार्रवाई करेगा।

(ख) गेट बन्द करने के पश्चात् समपार से गुजरने वाली गाड़ी को हाथ संकेत देगा।

- (b) In the case of a train to enter the block section at the other end, he shall before giving "Line Clear" for the train, advise the Station Master of station at the other end and obtain his acknowledgment, and the letter shall issue a caution order to the Loco Pilot, run through train being stopped out of course for the purpose.
- (7) In all cases when the gates at a level crossing are required to be opened for passage of road traffic, the Gateman, if the line is clear of rail traffic, must first open the gate farthest away from the approaching road traffic and then open the gate on the side nearest to the approaching road traffic, to give that traffic unobstructed passage across the crossing.
- (8)
 - (a) All level crossing gates shall be so worked as to cause the possible inconvenience to vehicular traffic, consistent with safety.
 - (b) In order to eliminate frequent and undue detention to road traffic at important level crossing, such gates shall not normally be closed for more than 10 minutes at a stretch.
 - (c) At level crossing which are provided with telephone, the Gateman on receipt of information about trolley being on line clear, shall not closed the gates immediately, but shall keep a look out for the motor trolley and only when it is actually in sight shall close the gates. The same procedure shall also be followed by cabinman in the case of gates operated from the cabins.
- (9) Where there is no rail traffic during night, the Gateman on day duty, after his duty hours, may leave his gate open for road traffic. Before leaving the gate, the Gateman will ask permission to do so from the controlling Station Master under exchange of Private Numbers. Station Master will give such permission only after ensuring that there is no train in the block section. Keys of the gate lodge will be kept by Gateman. Likewise, while the Gateman resumes his duty at a gate in the day time, he will exchange Private Numbers with the controlling Station Master as an assurance of having resumed duty. SM will ensure the availability of Gateman at the gates in the section before resumption of train working in the block section

16.04. Gateman to observe passing trains: - Except where otherwise prescribed under special instructions, the Gateman shall observe all passing trains and be prepared to take such action as may be necessary to ensure safety of trains.

SR 16.04 (i) Gateman shall stand facing the track on the gate lodge side with furied red hand signal flag in right hand and green hand signal flag in left hand during day, and at night hold the hand signal lamp with the white light pointing towards the track and be prepared to respect any signal which the guard may have occasion to give to the Loco Pilot or in case of an emergency he may be able to display the necessary stop hand signal quickly to avert an accident.

16.05 Channel for flange of wheels:- The Gateman shall see that the channel for the flange of the wheel is kept clear.

SR 16.05 (i) During the dry months of the year, in order to lay the dust, level crossing must be thoroughly watered by the gateman daily, both morning and evening, and also immediately before mail and passenger trains are due to pass.

(ii) At level crossing where there is no gateman, the mate or his keyman must inspect each level crossing daily, to see that the channel for the flanges of the wheels is clear.

16.06 Defects at level crossings:- If any gate or the gate fastenings thereof, or any fixed signal pertaining to the gate becomes out of order, the Gateman shall -

- (a) take action to close the gates, if possible, against the road traffic;
- (b) After closing the gates, hand signal the train movement pass the level crossing.

- (ग) यदि गेट को बन्द नहीं किया जा सकता है तो बैनर अथवा समपार झंडी ऐसी रीति में लगाई जाये कि गुजरने वाली गाड़ी को गेट पर पहुंचने से थोड़ा पहले ही रूकने के लिए सचेत किया जा सके और तत्पश्चात् हाथ संकेत देकर गाड़ी को गुजारा जाये।

- (घ) अपने वरिष्ठ अधिकारी को या निकटतम गैंगमेट को इसकी रिपोर्ट देगा।

स0 नि0 16.06(i): सबसे बाहरी रोक सिगनल से बाहर के फाटक सिगनल खराब होने की दशा में—सबसे बाहरी रोक सिगनल से बाहर के फाटक सिगनल खराब होने की दशा में ड्यूटी पर तैनात फाटक वाला फाटक सिगनल को तुरंत आन (अर्थात् खतरा) की दशा में कर देगा यदि वह 'आन' की स्थिति में नहीं है। जब तक कि वह इसे नहीं कर लेता तब तक वह फाटक को सड़क यातायात के लिए ताला लगाकर बन्द रखेगा। तत्पश्चात् वह अपने आसन्न पर्यवेक्षक कर्मचारी को वस्तुस्थिति से अवगत कराएगा। इसके साथ ही वह किसी भी माध्यम, जिसमें प्रथम उपलब्ध गाड़ी का लोको पायलट भी शामिल है, सन्निकट स्टेशन के स्टेशन मास्टर को सिगनल के खराब होने की सूचना देते हुए एक सन्देश अवश्य भेजेगा और हाथ सिगनल द्वारा गाड़ियों को पास करने के लिए तैयार रहेगा। सिगनल जिस किलोमीटर पर स्थित है, उसका उल्लेख सन्देश में किया जाना चाहिए।

रेल युक्त सड़क पुल की दशा में आने वाली गाड़ी को स्टाप सिगनल के पहले रूकने पर कार्यरत फाटकवाला/केबिन मैन पुल के दूसरे छोर तक गाड़ी को यह सुनिश्चित करते हुए कि ऐसा करना संरक्षित है, पायलट करेगा।

- (ii) (क) समपार सिगनल खराब होने की दशा में— यदि स्टेशन सीमा के बाहर 'जी' चिन्ह लगा गेट सिगनल खराब हो तो उसे "आन" की स्थिति में कर दिया जाएगा तथा रात्रि में उसे प्रकाशमान रखा जाएगा। आने वाली गाड़ी का लोको पायलट "जी" चिन्ह लगा गेट सिगनल "आन" की दशा में पाने पर एक लम्बी सीटी बजायेगा तथा गाड़ी को सिगनल के पीछे रोक देगा। यदि दिन में एक मिनट और रात्रि में दो मिनट प्रतीक्षा करने के बाद सिगनल "ऑफ" नहीं होता है तो वह गाड़ी को सावधानी पूर्वक आगे बढ़ायेगा तथा एक बार पुनः समपार के समीप उसे रोक देगा। फाटक वाला समपार को बन्द कर ताला बन्द करने के बाद हाथ सिगनल द्वारा समपार से गाड़ी को पार करायेगा। फाटक वाले की अनुपस्थिति में इस कार्य का निर्वाह इंजन कर्मी दल में से किसी एक सदस्य या ब्रेकमैन अथवा गार्ड द्वारा किया जाएगा।

- (ख) यदि गैर-स्वचालित सिगनलिंग क्षेत्र का समपार सिगनल, जिसपर "जी" मार्कर नहीं लगा है, खराब हो जाए तो उसे "आन" स्थिति में रखा जायेगा तथा उसे रात में जलते रहने दिया जायेगा। आने वाली गाड़ी का लोको पायलट बिना "जी" मार्कर वाले समपार सिगनल को "आन" दशा में पाता है तो सिगनल के निकट गाड़ी को रोक देगा तथा फाटक वाले का ध्यान आकृष्ट करने हेतु सीटी बजाएगा। फाटकवाला सड़क यातायात के विरुद्ध फाटक को बन्द करने और उसमें ताला लगाने करने के पश्चात् सिगनल तक आयेगा, लोको पायलट खराबी की सूचना देगा तथा गाड़ी को फाटक तक पाइलट करेगा।

- (ग) मद सं0 (क) और (ख) में सन्दर्भित समपार सिगनलों के बारे में पहले गाड़ी का लोको पायलट बगल के स्टेशन पर अपनी गाड़ी रोकेगा तथा खराब सिगनल के बारे में स्टेशन मास्टर को रिपोर्ट करेगा। समपार सिगनल के "आफ" स्थिति में खराब होने पर वह दूसरे स्टेशन के स्टेशन मास्टर को सूचित करेगा। ठीक पीछे वाले स्टेशन का स्टेशन मास्टर सभी गाड़ियों को रोकेगा तथा सतर्कता आदेश देगा।

16.07. समपार (लेविल क्रॉसिंग) पर अवरोध— प्रत्येक फाटक वाला लाइन पर कोई अवरोध देखते ही उसे तुरंत हटा देगा अथवा यदि वह ऐसा नहीं कर सकता है तो वह—

- (क) यह सुनिश्चित करेगा कि यदि फाटक की रक्षा के लिए स्थावर सिगनल लगे हैं तो वे 'ऑन' रहे
- (ख) रोक (स्टाप) हाथ सिगनल दिखाएगा और आने वाली गाड़ियों को रोकने का पूरा प्रयत्न करेगा तथा
- (ग) नियम 3.62 के अनुसार अवरोध की रक्षा करेगा।

स0 नि0 16.07 (i) किसी ऐसे अवरोध को देखकर जिससे गाड़ियों के पास होने के लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है फाटकवाला को तुरन्त दिन में लाल हैंड सिगनल झंडी तथा रात में लाल हाथ सिगनल बत्ती एक ब्रेकेट पर अवरोध के निकट लगा देनी चाहिए जो दोनों ओर से आने वाली गाड़ियों को दिखाई दें। इसके बाद वह लाइन को साधारण नियम 3.60, 3.62 तथा 3.63 के अनुसार पटाखों से रक्षित कर देगा।

- (c) If the gates can not be closed, put the banner flag or level crossing flag in such manner as to warn the approaching train to stop short of the gate & there after hand signal the train;
- (d) report the fact to his superior or the nearest gangmate.

SR 16.06 (i) Defective Gate Signals outside outermost stop signal:-In the event of gate signal outside outermost stop signal being out of order, the Gateman on duty shall immediately place the gate signal in the "ON"(i.e. Danger) position if not already 'ON'. Until he does this, he must keep the gate closed and locked against the road traffic. Thereafter he shall report the fact to his immediate superior. In addition he must then send a message to the Station Master of the nearest station advising him that the signal is out of order, through any agency including the Loco Pilot of the first available train and stand by ready to pass trains on hand signal. The kilometres at which the signal located should be mentioned in the message.

In the case of a rail-cum-road bridge, when the approaching train will stop short of the stop signal the Gateman / Cabinman on duty shall pilot the train up to the other end of the bridge that it is safe to do so.

- (ii) (a) Gate signal Defective :-If any Gate signal of level crossing gate outside station limits, which has been provided with a 'G' marker becomes defective, it shall be kept at 'ON' and the light shall be kept burning at night. The Loco Pilot of an approaching train finding a Gate signal with a 'G' marker at "ON" shall sound a long whistle and bring his train to a stop in rear of the signal. If after waiting for one minute by day and two minutes by night the signal is not taken off he should draw his train ahead cautiously and stop again short of the level crossing. The Gateman after closing and locking the gate across the road, shall hand signal the train past the level crossing. In the absence of the Gateman this duty will be performed by one of the engine crew or by the brakesman or the Guard.
- (b) If any Gate Signal of a level crossing gate in non- automatic signalling territory, which has not been provided with 'G' marker becomes defective, it shall be kept in the 'ON' position and light shall be kept burning at night. The Loco Pilot of approaching train finding such Gate Signal without 'G' marker in the 'ON' position, shall bring his train to a stop in rear of the signal and sound his whistle to attract the attention of the Gateman. The Gateman after closing and locking the gates against road traffic, shall proceed to the signal, report the defect to the Loco Pilot and pilot the train past the level crossing gate.
- (c) In respect of Gate signal referred to in (a) and (b) above the Loco Pilot of the first train shall stop the train at the next station and report the defective signal to the Station Master on duty, who will then advise the station at the other end. When gate signal has failed in "off" position, the Station Master of the station immediately in rear shall stop all trains and issue Caution Order

16.07 Obstructions at level crossing - Every Gateman, on noticing any obstruction on the line, shall at once remove it or, if unable to do so shall -

- (a) take action to ensure that the fixed signals, if any, protecting the gate are kept at 'on';
- (b) show Stop hand signal and do his best to stop the approaching trains, and
- (c) shall protect the obstruction as per Rule 3.62.

SR 16.07 (i) The gateman noticing any obstruction that will endanger the passage of trains must immediately fix red hand signal flag by day and red hand signal lamps by night on a bracket near the obstruction visible to an approaching train from both sides. He must then protect the line with detonators as laid down in G.R. 3.60, 3.62 and 3.63.

- (ii) यदि सड़क वाहन के खराब हो जाने या अन्य किसी कारणवश फाटक वाले द्वारा समपार पर के अवरोध को जब कोई गाड़ी आ रही हो तो साफ करने में असमर्थ होने की सम्भावना हो तो वह दिन में लाल झण्डी व रात में लाल बत्ती हिलाते हुए आने वाली गाड़ी की ओर तुरन्त बढ़ेगा जिससे यह संकेत होगा कि कोई विशेष अवरोध उत्पन्न हो गया है जिसे गाड़ी आने के पूर्व हटाना सम्भव नहीं। वह झण्डी या हाथ बत्ती तब तक हिलाता रहेगा जब तक कि गाड़ी खड़ी न हो जाय। इसके पश्चात गाड़ी कर्मचारी यदि आवश्यक हो तो लाइन को साफ करने में मदद देंगे (यह तरीका उस समय अपनाया जाना चाहिए जब समपार को पटाखों से साधारण नियम 3.60, 3.62 एवं 3.63 के अनुसार रक्षित करने का समय न मिल पाये।)

16.08. गाड़ी का विभाजन:— यदि कोई फाटक वाला देखता है कि कोई गाड़ी विभाजित हो गई है, तो वह लोको पायलट को रोक (स्टॉप) हाथ सिगनल नहीं दिखाएगा बल्कि वह चिल्लाकर और इशारों या अन्य तरीकों से लोको पायलट और गार्ड का ध्यान आकर्षित करने का प्रयत्न करेगा।

स0 नि0 16.08—लोको पायलट, गार्ड का ध्यान चिल्लाकर तथा दिन के समय हरी झण्डी को और रात्रि के समय सफेद रोशनी को जितना भी ऊँचा और नीचा हो सके, हिलाकर आकर्षित करना चाहिए।

16.09. अतिचार (ट्रेस पास):—प्रत्येक फाटक वाला जहां तक हो सके, व्यक्तियों और पशुओं के अतिचार को रोकेगा।

16.10. फाटक के चार्ज का अन्तरण:— विशेष अनुदेशों के सिवाय, कोई भी फाटक वाला अपने फाटक को छोड़कर तब तक नहीं जाएगा जब तक कि दूसरा फाटक वाला उसका भार साधन (चार्ज) ग्रहण नहीं कर लेता।

स0 नि0 16.10— (i) फाटक वाले को तब तक अपनी ड्यूटी से नहीं हटना चाहिए जब तक कि समुचित रूप से मुक्त नहीं किया जाता। ऐसे रिलीफ का प्रबन्ध स्थायी रेल पथ निरीक्षक या स्टेशन मास्टर जैसी स्थिति ही करेगा, सिवाय आपात स्थितियों में जबकि ऐसा प्रबन्ध उस गैंग का मेंट करेगा जिसके क्षेत्र में वह समपार पड़ता हो।

(ii) यदि अदृश्य तथा अपरिहार्य स्थितियों के कारण फाटक वाले की फाटक से अनुपस्थिति अत्यंत अपरिहार्य हो जाय तो फाटक वाले को यह सुनिश्चित किये बिना अपना स्थान नहीं छोड़ना चाहिए कि फाटकों को सड़क यातायात के विरुद्ध बन्द कर दिया गया है तथा उनमें ताला लगा दिया गया है।

(iii) फाटक वाले के पास कार्य समाप्त होने पर तथा विश्रामालय में रक्षित समपार फाटक पर 'आफ ड्यूटी बैज' रहेगा। जब वह कार्य सम्पादन के लिए वापस लौटेगा तो वह इसे कार्यभार के मुक्त हुए फाटक वाले को सौंप देगा।

“आफ ड्यूटी बैज” उपर्युक्त रूप से बदलता रहेगा।

यदि कोई अन्य फाटकवाला (आफ ड्यूटी फाटकवाला के अतिरिक्त) को कार्य करने के लिए कहा जाय तो यह आवश्यक है कि ऐसे आदेश एस.एस.ई./रेलपथ द्वारा दिये जायें तथा उसका अभिलेख गेट पुस्तिका में रखी जाय।

16.11. ऊँचाई मापी (हाइट गेज):—

- (1) प्रत्येक समपार (लेविल क्रॉसिंग) पर ऊपरी उपस्कर या अन्य उपस्कर के दोनों ओर एक-एक ऊँचाई मापी लगाने का इस प्रकार पर्याप्त प्रबन्ध किया जायेगा जिससे कि यह सुनिश्चित हो सके कि उसके नीचे से निकल सकने वाले सब वाहन और चलने वाले ढांचे, शिरोपरि उपस्कर या अन्य उपस्कर के नीचे से पर्याप्त फासले के अंतर से, निकल जायेंगे।
- (2) उपनियम (1) में उल्लिखित पर्याप्त दूरी अनुमोदित विशेष अनुदेशों के अधीन मंजूर की जायेगी।
- (3) जो वाहन और चलने वाले ढांचे, ऊँचाई मापी के नीचे से, उससे टकराए बिना या उसे छुए बिना, नहीं निकल सकते हैं, उन्हें विशेष अनुदेशों के अनुसार के सिवाय, ऊपरी उपस्कर या अन्य उपस्कर के नीचे से निकलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।



- (ii) When on account of a break down of road vehicle or for any other cause a Gateman is likely to be unable to clear an obstruction from a level crossing when a train is approaching, he must, at once proceed towards the expected train waving his Red Flag by day or Red Hand Signal lamp by night to indicate that some special obstruction exists which it may not be possible to clear before the train arrives; he must so continue to wave his flag or hand signal lamp until the train has been brought to a stand, the train staff must then assist in clearing the line if this is necessary (This method must be resorted to when there is no time to protect the level crossing with detonators as laid down in G.R.s. 3.60, 3.62 and 3.63).

16.08 Parting of a train.- If a Gateman notices that a train has parted, he shall not show a Stop hand signal to the Loco Pilot, but shall endeavour to attract the attention of the Loco Pilot and the Guard by shouting, gesticulating or other means.

SR 16.08 (i) The attention of the Loco Pilot and Guard must be attracted by shouting, moving a green flag by day, and a white light by night up and down vertically as high and low as possible.

16.09 Trespassing:- Every Gateman shall, as far as possible, prevent any trespassing by persons or cattle.

16.10 Transfer of charge of gate:- Except in accordance with special instructions, no Gateman shall leave his gate unless another Gateman has taken charge of it.

SR 16.10 (i): No gateman may leave his post without being properly relieved. Such relief must be arranged by the Permanent Way Inspector or Station Master as the case may be, except in cases of emergency, when it may be arranged by the Mate of the Gang in whose length the gate lies.

(ii) If on account of unforeseen and inescapable circumstances his absence from the gate becomes altogether inescapable a gateman must not leave his post without ensuring that the gates were closed and locked to road traffic.

(iii) On manned level crossing, the "OFF" Duty badge will remain in possession of gateman who is "OFF" duty and taking rest. When he returns to back to perform his duties, he will hand over this badge to the relived gateman.

The "OFF" duty badge will remain changing as above.

If any other gateman (other than "OFF" duty gateman) is asked to work, it is essential that such orders should be given by SSE/PW must be kept in gate record.

16.11. Height gauges: -

- (1) Adequate arrangements shall be made to erect height gauge on either side of the overhead equipment or other equipment at every level crossing so as to ensure that all vehicles and moving structures passing under the height gauge also pass under the overhead equipment or other equipment with adequate clearance.
- (2) The adequate clearance referred to in sub-rule (1) shall be sanctioned under approved special instructions.
- (3) Vehicles and moving structures, which cannot pass under the height gauge without striking or touching it, shall not be permitted to pass the overhead equipment or other equipment except in accordance with special instructions.

